संख्याः–1354/XXVII(1)/2015

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 18 :नवम्बर, 2016

विषयः–**14वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 की द्वितीय किश्त (मूल अनुदान) की धनराशि को ग्राम पंचायतों के लिए संक्रमण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 की **द्वितीय किश्त के लिए कुल धनराशि ₹1407250000.00 (₹एक सौ चालीस करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)** को संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

3– 14वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत की गई धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:– (1) जल आपूर्ति (2) सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (3) सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता (4) जल निकासी (5) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव (6) सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाइट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रखरखाव।

4– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। ग्राम पंचायतवार देय धनराशि का विवरण संलग्न है।

5– जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में दस दिन के अन्दर सम्बंधित ग्राम पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट इलैक्ट्रानिक ट्रॅान्सफर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब होने पर देरी की अवधि का ब्याज सम्बन्धित निकाय को किया जायेगा इसके लिए सम्बन्धित जिला पंचायतीराज अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून, प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध करायेंगे।

जिला पंचायत राज अधिकारी
देहरादून

8– संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9–संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10–यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई नगर पंचायत/नगर पालिका का गठन हो गया हो, ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत को अवमुक्त धनराशि का स्थानान्तरण शासन के पत्र सं0–822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित निकाय को किया जायेगा जिसकी सूचना सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

11–संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–198–ग्राम पंचायतें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 1354/**XXVII (1)**/2015, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल,उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223 विश्वकर्मा भवन, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
6– निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड–देहरादून।
7– निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11,पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
8– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या:-1354/XXVII (1)/2015 दिनांकः 18 नवम्बर, 2016 का संलग्नक।

चौदहवाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में द्वितीय किश्त हेतु देय धनराशि का विवरण।

(धनराशि हजार ₹ में)

जनपद का नाम	क्र.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	2016–17 की देय द्वितीय किश्त
1	2	3	4
-अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	10498
	2	ताकुला	9759
	3	धौलादेवी	13555
	4	भैसियाछाना	5909
	5	हवालबाग	15192
	6	लमगड़ा	11848
	7	द्वाराहाट	13507
	8	सल्ट	13793
	9	भिक्यासैण	8723
	10	ताड़ीखेत	14570
	11	चौखुटिया	10604
		योगः–	**127958**
ागेश्वर	1	कपकोट	17456
	2	गरूड	13538
	3	बागेश्वर	21195
		योगः–	**52189**
ामोली	1	कर्णप्रयाग	9153
	2	जोशीमठ	8437
	3	दशोली	8341
	4	घाट	7856
	5	पोखरी	7005
	6	गैरसैण	11587
	7	थराली	5898
	8	देवाल	5290
	9	नारायणबगड	8026
		योगः–	**71593**
ावत	1	लोहाघाट	9244
	2	बाराकोट	6001
	3	पाटी	11402
	4	चम्पावत	19678
		योगः–	**46325**
रादून	1	डोईवाला	40187
	2	रायपुर	28092

Attested Photocopy

जिला पंचायत राज अधिकारी
देहरादून

	3	सहसपुर		31322
	4	विकासनगर		28239
	5	चकराता		13580
	6	कालसी		11971
		योगः—		**153391**
6—हरिद्वार	1	भगवानपुर		35347
	2	खानपुर		9673
	3	रूड़की		48503
	4	नारसन		41561
	5	लक्सर		29232
	6	बहादराबाद		56456
		योगः—		**220772**
7—नैनीताल	1	ओखलकाण्डा		10216
	2	भीमताल		10152
	3	बेतालघाट		8842
	4	हल्द्वानी		35492
	5	रामनगर		14338
	6	रामगढ		8249
	7	कोटाबाग		11989
	8	धारी		5888
		योगः—		**105166**
8—पौड़ी	1	बीरोंखाल		9795
	2	द्वारीखाल		9623
	3	दुगडडा		23593
	4	एकेश्वर		6966
	5	जयहरीखाल		6935
	6	कल्जीखाल		7781
	7	खिर्सू		5483
	8	कोट		6462
	9	नैनीडाडा		8624
	10	रिखणीखाल		7565
	11	थलीसैंण		12451
	12	यमकेश्वर		9817
	13	पौड़ी		6498
	14	पावौ		7651
	15	पोखड़ा		5356
		योगः—		**134600**
9—पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट		14278
	2	मूनाकोट		10394
	3	कनालीछीना		10099
	4	धारचूला		11973
	5	पिथौरागढ		12975

	6	डीडीहाट	8083
	7	मुनस्यारी	12233
	8	बेरीनाग	9464
		योगः—	**89499**
10—रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनि	20380
	2	जखोली	14455
	3	ऊखीमठ	9377
		योगः—	**44212**
11—टिहरी	1	नरेन्द्रनगर	13575
	2	कीर्तिनगर	9587
	3	चम्बा	10917
	4	देवप्रयाग	11662
	5	भिलगना	21684
	6	थौलधार	9438
	7	जौनपुर	15510
	8	प्रतापनगर	12406
	9	जाखणीधार	10214
		योगः—	**114993**
12—ऊधमसिंह नगर	1	खटीमा	34369
	2	सितारगंज	31464
	3	रूद्रपुर	28648
	4	गदरपुर	23339
	5	बाजपुर	24227
	6	काशीपुर	22570
	7	जसपुर	21214
		योगः—	**185831**
13—उत्तरकाशी	1	भटवाडी	11543
	2	डुण्डा	12133
	3	चिन्यालीसैण	8859
	4	नौगांव	14555
	5	पुरोला	5515
	6	मोरी	8116
		योगः—	**60721**
		महायोगः—	**1407250**

Attested Photo Copy

जिला ... देहरादून

(एक सौ चालीस करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

(श्रीघर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।